बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0— भवन/भू—सम्पदा—01—आवास—(राजपत्रित)—01/2025— **56** पटना, दिनांक—23.06.2025

'कार्यालय आदेश'

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित राजपत्रित पदाधिकारियों को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त्त पर आवास आवंटित किया जाता है :—

क्र0	Reg.No	नाम/पदनाम	विभाग	प्रस्तावित आवास/अभ्युक्ति
1.	BG7943	**श्री कुमार ओमकेश्वर,** विशेष कार्य पदाधिकारी	मंत्रिमंडल सचिवालय	D7/103, गर्दनीबाग
2.	BG8154	**श्री विकास केशव,** पुलिस उपाधीक्षक	आर्थिक अपराध ईकाई	C8/203, गर्दनीबाग
3.	BG7941	**सुश्री नीतू सिंह,** पुलिस उपाधीक्षक	बिहार पुलिस मुख्यालय (मद्यनिषेध प्रभाग)	C8/204, गर्दनीबाग
4.	BG8153	**श्री अभिजीत अलकेश,** पुलिस उपाधीक्षक	आर्थिक अपराध ईकाई	C8/206, गर्दनीबाग

2. सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम—10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
3. नये आवंटी पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
4. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम—11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक किराया/दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
5. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंश चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रबाई की जायेगी।
6. विभागीय आदेश सं0—3473, दिनांक—30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ—सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंश चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :—

क्र0	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंश चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	डी– टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹936	₹1248	₹2184
2.	सी–टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹660	₹880	₹1540

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

7. अगर आवासी का पटना में कोई अपना मकान हो तो आवास आवंटन नियमावली, 1986 के प्रावधान के अनुसार इस संबंध में वे तदनुसार, कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को आवास अधिग्रहण की स्थिति में सूचित करेंगे।
8. भवन निर्माण विभाग के पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना आवास में पदाधिकारी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत्त रूप से कोई निर्माण कार्य करे ; अथवा आवास का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करे जिस प्रयोजन के लिए वह नहीं बना है, तो आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–22 के तहत भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
9. आवास परिवर्तन हेतु कोई भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. निजी कारणों से यदि आवंटी द्वारा आदेश निर्गत होने के 30 दिनों के अन्दर आवंटित आवास का प्रभार नहीं लिया जाता है तो आवास आवंटन नियमावली–1986 के नियम–10 तथा भवन निर्माण विभाग के संकल्प संख्या–1292(भ), दिनांक 01.03.1997 के नियम–6 (ख) के तहत एक वर्ष तक उन्हें कोई दूसरा आवास आवंटित नहीं किया जायेगा और उक्त आवास दूसरे पात्र पदाधिकारियों को आवंटित कर दिया जायेगा।
11. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
12. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(शिव रंजन)
संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी